

न्यायालय—प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 के
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1, चंदेरी,
जिला अशोकनगर म0प्र0

(पीठासीन अधिकारी— आसिफ अहमद अब्बासी)

व्यवहार वाद क्रं. —32ए/16

संस्थित दिनांक — 20.09.2013

1. मूर्ति 1008 श्री हजारिया महोदय मंदिर पिछोर रोड़ चंदेरी
द्वारा प्रबंधक एवं पुजारी हेमन्तकुमार मिश्रा पुत्र स्व0 प्रकाश चन्द मिश्रा
आयु 55 साल निवासी पंचम नगर कॉलोनी चंदेरी
तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

2. हेमन्त कुमार मिश्रा पुत्र स्व प्रकाश चन्द मिश्रा आयु 55 साल
निवासी पंचम नगर कॉलोनी चंदेरी
तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

..... वादीगण

विरुद्ध

- 1 उमेश कुमार पुत्र स्व0 रतनचन्द जैन आयु 58 साल
- 2 अनिल कुमार पुत्र स्व0 रतनचन्द जैन आयु 56 साल
- 3 मनोज कुमार पुत्र स्व0 रतनचन्द जैन आयु 48 साल
- 4 सुनील कुमार पुत्र स्व0 रतनचन्द जैन आयु 50 साल
- 5 बाई विधवा स्व0 रतनचन्द जैन आयु 78 साल.....फौत
- 6 निर्मलकुमार पुत्र स्व0 पूनमचंद जैन आयु 68 साल
- 7 संजयकुमार पुत्र स्व0 गेन्दालाल सर्राफ आयु 47 साल
- 8 प्रदीप कुमार पुत्र स्व0 गेन्दालाल सर्राफ आयु 43 साल
- 9 कमलेश (कस्तूरी बाई) विधवा पत्नि स्व0 गेन्दालाल सर्राफ आयु 74 साल
- 10 प्रतिभा पुत्री गेन्दालाल सर्राफ आयु 41 साल
- 11 जीवन कुमार पुत्र पूनमचन्द जैन आयु 63 साल
निवासीगण स्थान बंसत की गली चंदेरी
तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

12. मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर
जिला अशोकनगर म0प्र0

..... प्रतिवादीगण

// निर्णय //:: आज दिनांक..... को पारित ::

- 01— यह वाद कस्बा चंदेरी स्थिति भूमि सर्वे क्रमांक 87, 88, 89/1, 89/2, 96 एवं 97 कुल रक्बा 2.235 हैक्टेयर भूमि जिसे आगे चरणों में विवादित भूमि के नाम से संबोधित किया जा रहा है पर वादीगण का स्वत्व घोषित किये जाने की घोषणात्मक सहायता सहित उक्त विवादित भूमि पर वादीगण के कब्जे में हस्तक्षेप करने एवं सर्वे क्रमांक 89 में बने मंदिर तक पहुंचने के लिये बने मार्ग में बाधा उत्पन्न करने से निषेधित किये जाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने बाबत प्रस्तुत किया।
- 02— प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 97 पर हजारिया महादेव मंदिर स्थित है तथा सर्वे क्रमांक 89 पर राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादी 1 लगायत 11 दर्ज है।
- 03— वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी क्रमांक 1 हजारिया महादेव मंदिर सर्वे क्रमांक विवादित भूमि सर्वे 97 रक्बा 0.42 हैक्टेयर में ग्वालियर स्टेट के समय से स्थित है तथा उक्त मंदिर की व्यवस्था हेतु स्टेट द्वारा माफी के रूप में सर्वे क्रमांक 89, 96, 87, 88 मंदिर को प्रदान किये गये थे, जिनका इन्द्राज सवत 2007 के पूर्व से राजस्व रिकार्ड में अंकित है। सर्वे क्रमांक 89 में मंदिर तक पहुंचने के लिये काफी चौड़ा रास्ता पिछोर रोड से ही रहा है, जिसका उपयोग मंदिर पहुंचने के लिये भक्तगण करते आ रहे हैं। गेंदालाल जैन कांग्रेस पार्टी के नेता रहे हैं, जिन्होंने अपने प्रभाव का उपयोग कर राजस्व कर्मियों से साठगाठ कर सर्वे 89 रक्बा 2.184 जो कि हजारिया महादेव की भूमि थी पर 1/2 भाग पर गेंदालाल, निर्मिल कुमार और जीवन कुमार पुत्रगण पूनम चंद जैन एवं 1/2 भाग पर रतनचंद पुत्र परमानंद का नाम इन्द्राज करावा लिया तथा रतन चंद जैन के स्वर्गवास के बाद प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 5 का उक्त भूमि पर नामांतरण भी किया गया तथा बाटांकन भी स्वीकार कर 89/1, 89/2 राजस्व कागजात में अंकित हुआ एवं उक्त भूमि में से 4500 वर्गफीट का डायवर्जन भी किये जाने का उल्लेख राजस्व अभिलेखों में हैं, जिसकी सूचना वादीगण को नहीं दी गई।
- 04— मन्दिर हजारिया महादेव की पूजा-अर्चना 100 सालों से अधिक समय से वादी क्रमांक 2 के पूर्वज करते आ रहे हैं। वादी क्रमांक 2 के पिता प्रकाश चंद को ग्वालियर रियासत के औकाफ विभाग के कमीशनर ने 10.12 सवत 1995 में इस संबंध में परवना भी जारी कर उन्हें पुजारी नियुक्त किया था और वाद ग्रस्त भूमियां सुपुर्द कर उन्हें कब्जा भी प्रदान किया गया था जिसको 75 साल हो चुके हैं। प्रकाश चंद मिश्रा के जीवनकाल से

वादी क्रमांक 2 लगभग 35 सालों से निरंतर पुजारी के रूप में कार्य करता आ रहा है। वादग्रस्त भूमि देवस्थानी माफी भूमि होने से मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता के लागू होने से उपरांत उक्त अधिनियम की धारा 185 एवं 190 के अनुसार वादी क्रमांक 1 वादग्रस्त भूमि का भूमि स्वामी हो गया है। सर्वे क्रमांक 89/1, 89/2 को छोड़कर शेष सभी भूमियां शासकीय दर्ज हो गयी हैं, जबकि विवादित भूमियां न तो शासकीय हैं और न ही प्रतिवादीगण की हैं।

- 05— वादीगण के अनुसार प्रतिवादीगण सर्वे क्रमांक 89 को हड़पने के उद्देश्य से उस पर बिना अनुमति से निर्माण कार्य कर रहे हैं एवं मंदिर की पुरानी भोग शाला उनके द्वार गिरा दी है और सर्वे क्रमांक 87 में कुआ भी पूर दिया है, जिसके संबंध में वादी क्रमांक 2 ने पुलिस थाना चंदेरी में भी रिपोर्ट दर्ज करायी है। प्रतिवादीगण शक्ति के बल पर अपने प्रभाव में पुजारी को दबा कर फर्जी इन्द्राज के आधार पर कब्जा करना चाहते हैं। विवादित भूमि वादीगण की जिस पर उनका कब्जा है। पूर्व में इस संबंध में वादीगण के द्वारा व्यवहार वाद 293ए/13 संस्थित किया गया था जो कि शासन की आपत्ति के बाद धारा 80 सीपीसी का सूचना पत्र न दिये जाने से दिनांक 17.05.13 को वापस किया गया। उक्त पूर्ति करने के पश्चात यह वाद, दिनांक 01.02.13 को प्रतिवादीगण द्वारा भोगशाला तोड़ने एवं मंदिर के पहुंच मार्ग में बाधा उत्पन्न करने एवं राजस्व अभिलेखों में मंदिर के स्थान पर प्रतिवादीगण नाम अंकित होने की जानकारी मिलने की दिनांक 03.05.13 एवं पूर्व वादा वापसी दिनांक 17.05.13 को वाद कारण उत्पन्न होने के पश्चात वाद मूल्य 6000/- रुपये पर निर्धारित कर 600/- रुपये न्यायशुल्क के साथ निर्णय चरण क्रमांक 1 में वर्णित सहायता प्राप्त करने बाबत प्रस्तुत किया गया।
- 06— प्रतिवादी क्रमांक 1, 2, 3 व 5 एवं प्रतिवादी क्रमांक 4 की ओर से पृथक-पृथक जबाब प्रस्तुत करते हुये स्वीकृत तथ्यों को छोड़कर दावे के शेष अभिवचनों को अस्वीकार किया। प्रतिवादीगण के अनुसार वादी क्रमांक 1 मंदिर से वादी क्रमांक 2 का कभी कोई संबंध नहीं रहा। शासकीय मंदिरों का प्रबंधक जिलाधीश होता है जिसके द्वारा पुजारी की नियुक्ति की जाती है मंदिर की आड लेकर वादीक्रमांक 2 शासकीय भूमियां हड़पना चाहता है जबकि सर्वे क्रमांक 97 के आसपास की भूमियां कभी भी शासन द्वारा मंदिर को पूजा, अर्जना, भोग, बत्ती रखरखाव आदि के लिये नहीं दी गई। सर्वे क्रमांक 89 पूर्वजों के समय से प्रतिवादीगण के स्वत्व की भूमि होकर शासकीय भूमि नहीं है और न ही उक्त भूमि वादीगण के आधिपत्य की है। सर्वे क्रमांक 89 में मंदिर जाने के लिये कभी कोई रास्ता नहीं रहा है। प्रतिवादीगण ने विधिवत डायवर्जन कराकर एवं अनुमति लेकर अपने स्वामित्व की भूमि पर भवन निर्माण कर रहे हैं। वादी क्रमांक 2 को सर्वे क्रमांक 89 के संबंध में पूर्व से ही यह जानकारी थी, कि वह प्रतिवादीगण के परिवार की भूमि रही है। प्रतिवादीगण की भूमि से मंदिर जाने के लिये कोई रास्ता नहीं है, जब कभी श्रद्धालू जाते हैं, तो वह प्रतिवादीगण की खेत की मेढ से होकर जाते हैं। वादी क्रमांक 2 ले मिथ्या आधार पर प्रतिवादीगण की भूमि हड़पने व परेशान करने के उद्देश्य से वादा प्रस्तुत किया है। उसे कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। वाद अवधि बाधित है। वादीगण ने पूर्व वाद भिन्न तथ्य बाद में प्रस्तुत किये हैं। वादी क्रमांक

2 को शासन द्वारा मंदिर का पुजारी नियुक्त नहीं किया गया, इसी स्थिति में उसे मंदिर की ओर से वाद प्रस्तुत करने का विधिक अधिकार नहीं है। अतः उपरोक्त आधार पर वाद चलने योग्य न होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

- 07— प्रतिवादी क्रमांक 6, 7, 8, 9 एवं प्रतिवादी क्रमांक 10, 11 की ओर से पृथक-पृथक जबाव प्रस्तुत करते हुये स्वीकृत तथ्यों को छोड़कर दावे के शेष सभी अभिवचनों को अस्वीकार किया। प्रतिवादीगण का अपने अभिवचनों में कहना है कि सर्वे क्रमांक 89 रक्बा 2.84 हैक्टेयर सहित सर्वे क्रमांक 99, 100, 104 पूर्व में रतनचंद जैन एवं गेंदालाल सर्राफ के स्वामित्व व आधिपत्य के थे। जिनका बटवारा होने पर विवादित भूमि का सर्वे क्रमांक 89/1 रतनचंद को प्राप्त हुआ था तथा 89/2 गेंदालाल, निर्मल कुमार व जीवन कुमार को प्राप्त हुआ था, उक्त सर्वे क्रमांक कभी मंदिर हजारिया महादेव का नहीं रहा और न है। गेंदालाल का स्वर्गवास 2011 में हो गया जिसके बाद उनके हिस्से का 1/2 प्रतिवादी क्रमांक 6 लगायत 11 को प्राप्त होकर उनके स्वत्व व आधिपत्य की भूमि है। सर्वे क्रमांक 89 को छोड़कर सर्वे विवादित सर्वे क्रमांक शासकीय दर्ज है। सर्वे क्रमांक 89 में कभी कोई रास्ता नहीं रहा है। पूर्व में प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी क्रमांक 4 लगायत 11 पक्षकार नहीं थे। वादीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ। वादीगण को वाद ग्रस्त भूमियों के बाजारू मूल्य पर न्यायशुल्क अदा करना था जो नहीं किया गया। विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 89 प्रतिवादीगण एवं उनके पूर्वजों के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि रही है। इस कारण से यह वाद अवधि बाधित है। वादीगण ने कब्जे की सहायता चाहे बिना दावा प्रस्तुत किया है जिससे वाद प्रचलन योग्य नहीं है। वादी क्रमांक 2 को पुजारी हैसियत से दावा प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं था। वादी गण ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध अकारण ही दावा प्रस्तुत किया है, जो निरस्त किये जाने का निवेदन किया।
- 08— प्रतिवादी क्रमांक 12 मध्यप्रदेश शासन की ओर से जबाव प्रस्तुत करते हुये स्वीकृत तथ्यों को छोड़कर दावे के शेष सभी अभिवचनों को अस्वीकार किया है। प्रतिवादी क्रमांक 12 का कहना है कि सर्वे क्रमांक 87 शासकीय कुंआ है तथा सर्वे क्रमांक 88 शासकीय अंकित है एवं सर्वे क्रमांक 97 पर हजारिया महादेव मंदिर स्थित होकर उक्त भूमि शासकीय गाउठान के नाम से अंकित है, सर्वे क्रमांक 89/1 एवं 89/2 शासकीय सर्वे क्रमांकों से लगी भूमि है जो कि भूमि स्वामी स्वत्व अंकित हैं तथा उक्त शासकीय भूमियों पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है। उपरोक्त शासकीय भूमिया मध्यप्रदेश शासन के स्वत्व व आधिपत्य की भूमिया हैं। हजारिया महादेव एवं शासकीय भूमि के संबंध में बार बार शिकायत होने पर राजस्व निरीक्षक व पटवारी द्वारा विधिवत मौके पर पंचनामा भी बनाया गया जो प्रकरण में प्रस्तुत किया गया। सर्वे क्रमांक 96 में स्थित शासकीय कुंयें में किसी का हस्तक्षेप नहीं है अतः उपरोक्त आधार पर दावा सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया।
- 09— प्रकरण में प्रकरण में मेरे पूर्व अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वादप्रश्न निर्धारित किये गये हैं। जिनके समक्ष उन पर मेरे द्वारा दिये गये निष्कर्ष अंकित हैं:-

क्रमांक	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या कस्बा चन्देरी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 87, 88, 89 (वर्तमान में 89/1 व 89/2), 96 तथा 97 एकत्र रकबा 2.235 हैक्टेयर भूमि का वादी क्रमांक 1 (मूर्ति 1008 श्री हजारिया महादेव मंदिर, चंदेरी) द्वारा पुजारी वादी क्रमांक 2 भूमि स्वामी होकर तदनुसार राजस्व कागजात में नाम अंकित कराने का अधिकारी है ?	प्रमाणित नहीं।
2.	क्या प्रतिवादीगण, वादीगण के आधिपत्य की भूमि पर अवैध रूप से हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहा है ?	प्रमाणित नहीं।
3.	यदि हो तो क्या वादीगण, प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी है ?	प्रमाणित नहीं।
4.	क्या वादी का वाद अवधि बाह्य है ?	प्रमाणित नहीं।
5.	सहायता व व्यय ?	निर्णय की कंडिका 42 अनुसार प्रदान की गई

—सकारण निष्कर्षः—

वाद क्रमांक—1 का विवेचन एवं निष्कर्षः—

- 10— हेमन्त कुमार (वा0सा—1) का अपने सशपथ कथनों में यह कहना है कि विवादित भूमियां ग्वालियर स्टेट के समय से भोग शाला पुजा अर्जना आदि के लिये व्यवस्था हेतु वादी क्रमांक 1 मन्दिर को दी गई थी तथा उपरोक्त भूमियों पर राजस्व कागजातों पर हजारिया महादेव के नाम का इन्द्राज हैं। इस साक्षी के अनुसार उपरोक्त विवादित भूमियों में हजारिया महादेव की भोग शाला एवं मंदिर का भवन कोट तथा पक्के कुंये बने हुये थे तथा मन्दिर तक पहुचने के लिये सर्वे क्रमांक 89 से होकर रास्ता भी गया है। हेमन्त कुमार (वा0सा—1) का कहना है कि सर्वे क्रमांक 89 रकबा 10 बीघा भूमि भी हजारिया महादेव मन्दिर की माफी की भूमि रही है जिस पर प्रतिवादीगण के पिता ने अपने प्रभाव का अनुचित लाभ लेकर राजस्व कर्मचारियों से सांठ—गांठ करके उक्त भूमि पर अपना नाम इन्द्राज करा लिया था।
- 11— वादीगण की ओर से अपने समर्थन में रामनिवास (वा0सा—2) तथा कोमल प्रसाद (वा0सा—3) के कथन न्यायालय में कराये गये जिनका अपने मुख्यपरीक्षण सशपथ कथनों में कहना है कि विवादित भूमियां लगभग 10—11 बीघा है, जो कि श्री 1008 हजारिया महादेव मन्दिर की भूमियों के नाम से जानी जाती है, इन साक्षियों का भी अपने सशपथ कथनों में कहना है कि विवादित भूमि में प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नहीं है, उन्होंने गलत रूप से वादी क्रमांक 1 की भूमि का नामात्रण अपने नाम पर करा लिया है। अतः

विवादित भूमियां मन्दिर हजारिया महादेव की भूमियां हैं इस संबंध में वादी के कथनों का समर्थन रामनिवास (वा0सा-2) तथा कोमल प्रसाद (वा0सा-3) ने भी अपने मुख्यपरीक्षण के सशपथ कथनों में किया है।

- 12— वादीगण की ओर से प्रकरण में अपने समर्थन में विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 97 से संबंधित वर्ष 2012-13 के खसरे की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी 1 प्रकरण में अपने समर्थन में प्रस्तुत की है, जिसमें सर्वे क्रमांक 97 शासकीय भूमि के रूप में राजस्व अभिलेख में दर्ज है। विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 97 शासकीय भूमि होकर उक्त भूमि पर हजारिया महादेव मंदिर बना है, यह प्रकरण में विवादित नहीं है तथा पटवारी रामगोपाल उइके (प्र0सा-3) सहित हेमंत कुमार (वा0सा-1) व उमेश कुमार (प्र0सा-1) ने भी अपने कथनों में इस बात की पुष्टि की है। जिससे प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि सर्वे क्रमांक 97 शासकीय भूमि दर्ज होकर उस पर हजारिया महादेव मंदिर बना है।
- 13— वादीगण की ओर से प्रकरण में प्रदर्श पी 1 लगायत 26 के दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत किये हैं। वादीगण की ओर से जिल्द बंदोबस्त खसरा सवत् 2013 की सत्य प्रतिलिपि प्रदर्श पी 18 व 19 प्रकरण में प्रस्तुत की गई है, जिन में सर्वे क्रमांक 87, 88 का कोई उल्लेख नहीं है वही सर्वे क्रमांक 89 पर रतन चंद पुत्र परमानंद, गुलाब चंद पुत्र पूनम चंद के नाम की प्रविष्टि कृषक के तौर पर है। वही सर्वे क्रमांक 96 और 97 के संबंध में ऐसी कोई प्रविष्टि नहीं है, जो उक्त भूमि माफी में प्राप्त भूमि होना दर्शित करती हैं। वादीगण की ओर से संबत् 2031 से 2050 के खसरों की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी 20 लगायत 23 प्रकरण में प्रस्तुत की गई है, जो कि विवादित भूमियां में से मात्र सर्वे क्रमांक 89 की स्थिति दर्शित करती है तथा उपरोक्त दस्तावेजों में सर्वे क्रमांक 87 एवं 88 पर उक्त भूमियां मंदिर को माफी के रूप में प्राप्त होने का कोई इंड्राज नहीं है।
- 14— वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रदर्श पी 20 लगायत 23 के अनुसार भी सर्वे क्रमांक 89 पर रतन चंद पुत्र परमानंद, गुलाब चंद पुत्र पूनम चंद के नाम की प्रविष्टि कब्जेदार के रूप में दर्ज है। इसी प्रकार प्रदर्श पी 24, 25, 26 के साबिक नंबर सूची एवं खतौनी संबत 2007 से भी खाता क्रमांक 161 जिसमें सर्वे क्रमांक 89 शामिल है, पर रतन चंद पुत्र परमानंद व गुलाब चंद पुत्र पूनम चंद के नाम का कृषक के रूप में इंड्राज है। अतः वादीगण की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त राजस्व अभिलेख में से ऐसा एक भी दस्तावेज अभिलेख पर नहीं है, जो विवादित भूमियां मंदिर को माफी के रूप में प्राप्त होना साबित करता हो।
- 15— वादीगण की ओर से प्रस्तुत किये गये लिखित तर्क में यह चुनौती दी गई है कि सर्वे क्रमांक 100, 99, व 104 प्रदर्श पी 18 के अनुसार शासकीय दर्ज हैं, परन्तु प्रदर्श पी 27 की नामात्रण पंजी में उक्त भूमियां सर्वे क्रमांक 89 सहित गेंदालाल, निर्मल कुमार व जीवन कुमार का रजिस्ट्री के आधार पर नामात्रण होने का उल्लेख है जबकि

प्रतिवादीगण पुश्तैनी भूमि होना अपना अभिवचनों में कहते हैं। उपरोक्त बिन्दु पर अपने समर्थन में वादीगण की ओर से माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत रामलाल व अन्य बनाम फगुआ व अन्य 2006 राजस्व निर्णय-1 में प्रतिपादित विधि का आवलंबन लिया है जिसमें माननीय न्यायालय ने यह अभिमत दिया है कि अविधिमान्य विक्रय अभिलेख पर आधार पर नामांतरण होने से कोई हक प्राप्त नहीं होते हैं।

16—उमेश कुमार (प्र0सा-1) ने निश्चित रूप से अपने न्यायालीन कथनों में विवादित भूमियां अपनी पुश्तैनी भूमि होना बताया है जिसके संबंध में प्रतिवादी साक्षी ज्ञानचंद (प्र0सा-2) ने भी उमेश कुमार (प्र0सा-2) के कथनों के समर्थन में कथन दिये हैं तथा प्रतिवादीगण ने अपने अभिवचनों में व्यनामा होने का उल्लेख नहीं किया है। जबकि प्रदर्श पी 27 की नामांतरण पंजी से जो कि लोक दस्तावेज की सत्यप्रतिलिपि है, एवं अन्य राजस्व अभिलेखों सहित प्रदर्श पी 2 के खसरो की सत्यप्रतिलिपि से यह स्पष्ट होता है कि पूर्व में विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 89 रतनचंद व गुलाब चंद के नाम बराबर भाग में दर्ज रही है तथा वर्ष 1974 में व्यनामों के आधार पर गुलाब चंद के स्थान गेंदालाल, निर्मलकुमार व जीवन कुमार पुत्र पूनमचंद जैन का नामांतरण स्वीकार किया गया है तथा शेष आधे भाग पर रतनचंद का नाम का इंद्राज पूर्व से है। वर्ष 1974 में हुये नामांतरण के आदेश को अब तक कोई चुनौती नहीं दी गई और न ही चुनौती दिये जाने का कोई आधार वादीगण के पास नहीं है। अतः वादीगण की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त न्यायदृष्टांत में प्रतिपादित विधि भी वर्तमान प्रकरण की परिस्थितियों पर लागू नहीं होती है।

17—हेमंत कुमार (वा0सा-1) का अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 11 में कहना है कि सर्वे क्रमांक 89 हजारिया महादेव के नाम से 1905 से वर्तमान तक है तथा उसे उक्त नंबर के बटाकन एवं नामांतरण के आधार की जानकारी नहीं है, इस साक्षी का प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 14 में कहना है कि सभी विवादित नंबर मंदिर की सीमा में है तथा यह साक्षी गेंदालाल, रतनचंद व निर्मल कुमार को जानना तो बताता है परन्तु इस साक्षी की प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 18 में यह कहना है कि उसे उपरोक्त लोगों के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित होने की जानकारी नहीं है। सर्वे प्रथम तो यह उल्लेखनीय है कि वादीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों से यह प्रमाणित नहीं है कि सर्वे क्रमांक 89 वर्ष 1905 से हजारिया महादेव के नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज है बल्कि इसके विपरीत संवत् 2007 से वादीगण के ही दस्तावेजों से उक्त भूमि पर कब्जेदार के रूप में रतन चंद पुत्र परमानंद व गुलाब चंद पुत्र पूनम चंद का नाम राजस्व अभिलेखों में इंद्राज चला आ रहा है।

18—हेमंत कुमार (वा0सा-1) अपने प्रतिपरीक्षण में यह कहता है कि उसे गेंदालाल, रतनचंद व निर्मल कुमार के राजस्व अभिलेखों में नाम अंकित होने की जानकारी नहीं है परन्तु उपरोक्त कथन उसके द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिवचनों के विरोधाभासी है क्योंकि वादी ने अपने अभिवचनों में ही यह स्वीकार किया है कि सर्वे क्रमांक 89 के बंटाकन होने एवं

आधे भाग पर गेंदालाल, निर्मल, जीवन कुमार पुत्र पूनम चंद जैन का आधे भाग पर एवं शेष आधे भाग पर रतन चंद पुत्र परमानंद का इंद्राज राजस्व अभिलेखों में संबत 2015 से इंद्राज होने की जानकारी उसे थी। हेमंत कुमार (वा0सा-1) अपने उपरोक्त कथनों के विपरीत अपने प्रतिपरीक्षण कण्डिका 19, 26, 30 में स्वयं यह स्वीकार करता है कि सर्वे क्रमांक 89 पर गेंदालाल, निर्मल कुमार व रतन चंद का शुरू से ही नाम दर्ज चला आ रहा है तथा वर्तमान में 1 लगायत 11 का नाम दर्ज है।

19—अतः ऐसे में वादी के पास स्वयं यह साबित करने का कोई आधार नहीं है कि सर्वे क्रमांक 89 हजारिया महादेव के नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। हेमंत कुमार (वा0सा-1) ने स्वयं अपने प्रतिपरीक्षण कि कण्डिका 22, 23, 26 एवं 29 में यह स्वीकार किया है कि उसने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया कि, जिससे प्रतिवादीगण की जमीन सर्वे क्रमांक 89 मंदिर की दर्शित होती हो या मंदिर को माफी में प्राप्त होना दर्शित करती हो।

20—वादी साक्षी रामनिवास मिश्रा भी अपने प्रतिपरीक्षण में स्वयं यह स्वीकार करता है कि उसने राजस्व अभिलेख नहीं देखे तथा उसे यह जानकारी भी नहीं है कि कौन सी भूमि किसके नाम पर है यह साक्षी एक ओर प्रतिवादीगण द्वारा सर्वे क्रमांक 89 पर फर्जी नामात्रण कराया जाना अपने मुख्यपरीक्षण में कहता है परन्तु प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 5 में इसी साक्षी का कहना है कि उसे जानकारी नहीं है कि मंदिर की भूमियों पर किसने नामात्रण कराया है तथा उसे यह भी जानकारी नहीं है कि मंदिर के आसपास की भूमिया किसके नाम पर है। इसी प्रकार कोमल प्रसाद (वा0सा-3) अपने प्रतिपरीक्षण में स्वयं यह स्वीकार करता है कि उसने 2015 के पहले के कोई कागज नहीं देखे, परन्तु यही साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण में यह कहता है कि जब उसने सर्वे नंबर देखा उसे जानकारी हुई कि सेटलमेंट के समय से ही प्रतिवादीगण का नाम दर्ज चला आ रहा है। कोमल प्रसाद (वा0सा-3) एक ओर 2015 के पहले के कागज न देखना अपने प्रतिपरीक्षण में कहता है वही इसके विपरीत इस साक्षी का अपनी प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 11 में यह कहना है कि उसने जो कागज देखे हैं, वह 1957 के पहले प्रतिवादीगण का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं था बंदोबस्त के समय नाम दर्ज हुआ है। अतः वादी साक्षी कोमल प्रसाद (वा0सा-3) व रामनिवास मिश्रा (वा0सा-2) के द्वारा दिये गये न्यायालीन कथनों में प्रतिपरीक्षण में उत्पन्न हुये विरोधाभास ये दर्शित करता है कि इन दोनों साक्षियों को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है कि वास्तव में हजारिया महादेव मंदिर को माफी के तौर पर कोई भूमि प्राप्त हुई भी थी अथवा नहीं।

21—वादीगण की ओर से लिखित तर्क में विवादित भूमियां हजारिया महादेव मंदिर को माफी के रूप में प्राप्त होने के आधार यह बताया गया है कि सर्वे क्रमांक 89 से संबंधित प्रस्तुत खसरो में सर्वे क्रमांक साथ हजारिया लिखा हुआ निश्चित रूप से प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों में सर्वे क्रमांक 89 पर खसरो की कण्डिका 1 में हजारिया शब्द का उल्लेख है परन्तु उक्त शब्द के उल्लेख मात्र से यह निष्कर्ष निकाला जाना संभव नहीं है कि सर्वे

क्रमांक 89 सहित शेष भूमिया हजारिया महादेव मंदिर को माफी के रूप में प्राप्त हुई थी। विवादित भूमिया मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता के लागू होने के पूर्व मंदिर हजारिया को माफी के रूप में प्राप्त हुई यह साबित करने के लिये कोई दस्तावेज अभिलेख पर नहीं है। सर्वे क्रमांक 97 पर प्रदर्श पी 19 में मढियां महादेव के नाम की प्रविष्टि है तथा वर्तमान में भी उक्त सर्वे नंबर पर हजारिया महादेव मंदिर है, यह प्रकरण में कही विवादित नहीं है परन्तु उक्त भूमि पर मंदिर होना तथा उक्त भूमि मंदिर को माफी के रूप में प्राप्त होना दोनो स्थितियां अलग-अलग हैं, जिसमें दूसरी स्थिति की भूमिया मंदिर को माफी के रूप में प्राप्त हुई, साबित करने के लिये वादी अभिलेख पर कोई विश्वासनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका।

22—वादीगण की ओर से प्रस्तुत अभिवचनों में एवं स्वयं हेमंत कुमार मिश्रा (वा0सा—1) ने अपने न्यायालीन कथनों में सर्वे क्रमांक 97 सहित सर्वे क्रमांक 96, 87, 88, 89 कुल रक्बा 2.235 हैक्टेयर भूमि ग्वालियर स्टेट के समय से मंदिर को माफी की भूमि के रूप में प्राप्त होना बताया है जिनका उपयोग पूजा अर्चना भोग बत्ती रखरखाव आदि व्यवस्था के लिये होता था, अतः वादीगण का विवादित भूमियों पर स्वत्व व आधिपत्य का एक मात्र आधार उक्त भूमियां ग्वालियर स्टेट के समय से हजारिया महादेव मंदिर को माफी की भूमियों के रूप में दी जाना तथा उक्त भूमियों का उपयोग मंदिर की पूजा-अर्चना एवं व्यवस्था हेतु होना बताया गया है। परन्तु उक्त भूमियां हजारिया महादेव मंदिर को माफी के रूप में ग्वालियर स्टेट के समय कब व किस आदेश से प्रदान की गई इसका कोई उल्लेख हेमंत कुमार (वा0सा—1) ने न तो अपने सशपथ कथनों में किया है और न ही इस संबंध में अन्य वादी साक्षी रामनिवास (वा0सा—2) तथा कोमल प्रसाद (वा0सा—3) ने ही न्यायालय में कोई कथन दिये।

23—वादीगण की ओर से प्रस्तुत अभिवचन अनुसार ग्वालियर रियासत के औकाफ विभाग ने 10 दिसंबर सन् 1995 को वादी क्रमांक 2 के पिता प्रकाश चंद को हजारिया महादेव का पुजारी नियुक्त किया था तथा संपूर्ण वादग्रस्त भूमि उन्हें सुपुर्द कर कब्जा प्रदान की गई थी तथा उनके जीवन काल से ही वादी क्रमांक 2 पुत्र होने के नाते मंदिर में पुजारी के तौर पर पूजा अर्चना करता आ रहा है। लिखित तर्क में भी वादीगण की ओर से ग्वालियर स्टेट के परबना दिनांक 10 दिसंबर सन् 1995 को हवाला देते हुये विवादित भूमियां ग्वालियर स्टेट द्वारा माफी पर प्राप्त होने व्यक्त किया गया है। हेमंत कुमार (वा0सा—1) ने उपरोक्त ऐसा कोई भी आदेश प्रस्तुत कर प्रमाणित नहीं कराया। प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों से इस आशय का कोई भी प्रमाण संवत् 2007 से नहीं मिलता है कि विवादित भूमियां हजारिया महादेव मंदिर को माफी के रूप में प्राप्त हुई थी या उक्त भूमियों के संबंध में वादी से पूर्व उनके पूर्वजों को विधिवत पुजारी नियुक्त किया गया था।

24—भू-राजस्व संहिता लागू होने के बाद शासकीय मंदिरों के संबंध में पुजारी नियुक्त करने का अधिकार जिलाधीश के पास होता है तथा उस मंदिरों का प्रबंधन भी वही करते हैं।

हेमंत कुमार (वा0सा-1) अपने प्रतिपरीक्षण में ही यह स्वीकार करता है कि ऐसा कोई आदेश उसके पास नहीं है जो यह साबित करता हो कि उसे या उसके पिता को पूर्व में विधिवत पुजारी नियुक्त किया गया था। वादीगण की ओर से प्रकरण में प्रदर्श पी 16 व 17 के बिजली के बिल प्रकरण में प्रस्तुत किये गये हैं तथा पूर्व संस्थित वाद प्रकरण क्रमांक 25ए/13 में प्रस्तुत दावे एवं धारा 80 व्य0प्र0स0 के नोटिस व उसकी रसीद सहित आदेश 39 नियम 1 व 2 के आवेदन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र प्रकरण में प्रस्तुत किये हैं, परन्तु उपरोक्त दस्तावेजों में से ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जो विवादित भूमियों पर वादी को मंदिर हजारिया का पुजारी होकर उसका प्रबंधक होना साबित करता हो।

25—वादीगण की ओर से प्रस्तुत किये गये लिखित तर्क में यह प्रतिरक्षा ली है कि प्रतिवादी क्रमांक 1, 2, 3 व 5 एवं प्रतिवादी क्रमांक 4, प्रतिवादी क्रमांक 6 लगायत 9, प्रतिवादी क्रमांक 10 व 11 तथा प्रतिवादी क्रमांक 12 के द्वारा पृथक पृथक वाद पत्र प्रस्तुत किये गये हैं परन्तु प्रतिवादी क्रमांक 1 उमेश कुमार की ही साक्ष्य न्यायालय में करायी गई है, शेष प्रतिवादीगण अपने अभिवचनों के समर्थन में कथन देने के लिये न तो उपस्थित हुये हैं न ही उनकी ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत की गई। यह उल्लेखनीय है कि सभी प्रतिवादीगण की ओर से भले ही अपने समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत न की गई हो परन्तु उनके द्वारा अपने अभिवचनों के समर्थन में वादी साक्षियों का प्रतिपरीक्षण कर अपना पक्ष रखा गया है। यह कदापि आवश्यक नहीं है कि जबाव दावे के समर्थन में प्रत्येक बार साक्ष्य प्रस्तुत की ही जावें। यदि प्रतिवादीगण को यह लगता है कि वह बिना साक्ष्य प्रस्तुत किये ही सफल हो सकते हैं तो वह साक्ष्य प्रस्तुत न करने के लिये भी स्वतंत्र हैं। प्रतिवादीगण की साक्ष्य प्रस्तुत न होने पर वादी पक्ष को लाभ तभी मिल सकता है जब उनके द्वारा अपना दावा अखण्डित एवं विश्वसनीय साक्ष्य से साबित किया गया हो। जो कि वर्तमान प्रकरण में वादीगण साबित नहीं कर सके हैं।

26—वादीगण की ओर से यह तर्क भी दिये गये है कि मध्यप्रदेश शासन का जबाव दावा पटवारी के हस्ताक्षर से दिया गया है परन्तु यह तर्क किस आधार पर दिये गये यह कही भी स्पष्ट नहीं है। मध्यप्रदेश शासन की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने कलेक्टर की ओर से अभिवचन प्रस्तुत किये हैं तथा प्रभारी अधिकारी की हैसियत से हस्ताक्षरित अभिवचन प्रस्तुत किये गये हैं। यदि वादीगण यह कहते हैं कि उक्त अभिवचनों पर सक्षम व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं हैं तो साबित करने का भार भी वादीगण पर है। परन्तु वादीगण की ओर से यह तक स्पष्ट नहीं किया गया कि अभिवचनों पर यदि पटवारी ने हस्ताक्षर किये हैं तो वह पटवारी कौन है। अतः वादीगण का यह तर्क कि मध्यप्रदेश शासन की ओर से कोई जबाव दावा प्रस्तुत न होना माना जाये को स्वीकार करने का आधार अभिलेख पर नहीं है। अतः वादीगण की ओर से प्रस्तुत न्यायदृष्टांत **सुरेन्द्र सिंह विरुद्ध शासन W.N. 1997 (2) Note 209, एन0 वी0 मेहता विरुद्ध शासन W.N. 1991 (2) Note 2, नन्दा विरुद्ध पूना R.N. 1996 PAGE 382,** में प्रतिपादित विधि वर्तमान प्रकरण की परिस्थितियों पर लागू नहीं होती है जिससे वादी को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

27—वादीगण का यह भी तर्क है कि जबावदावों में वादी के अभिवचनों को स्पष्ट रूप से अस्वीकार अथवा डिनायल नहीं किया गया। इसलिए ऐसा डिनायल स्वीकृति की श्रेणी में आता है जिसके संबंध में वादीगण ने न्यायदृष्टांत नरेंद्र प्रसाद सोनी विरुद्ध मंजूलता W.N. 2002 (1) Note 14 में प्रतिपादित विधि का आवलंबन दिया है। निश्चित रूप से उपरोक्त सम्मानित न्यायदृष्टांत में प्रतिपादित विधि अनुसार स्पष्ट डिनायल न होने की स्थिति में उसे स्वीकृति माना जाता है। मगर वर्तमान प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 11 ने स्पष्ट रूप से अपने अपने आधार रखते हुये दावों के अभिवचनों को अस्वीकार किया है। जिससे वादीगण का यह तर्क की दावे के अभिवचनों को स्पष्ट रूप से अस्वीकार नहीं किया गया, स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है अतः उपरोक्त न्यायदृष्टांत में प्रतिपादित विधि वर्तमान प्रकरण की परिस्थितियों पर लागू नहीं होती है।

28—वादीगण अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि विवादित भूमियां मध्यप्रदेश भू राजस्व सहिता लागू होने से पूर्व ही या उसके पश्चात् माफी के रूप में मंदिर हजारिया महादेव को प्रदान की गई थी। यदि विवादित भूमियां हजारिया महादेव मंदिर को ग्वालियर स्टेट द्वारा या भू-राजस्व सहिता लागू होने के पश्चात् मध्यप्रदेश शासन द्वारा मंदिर की व्यवस्था हेतु प्रदान ही नहीं की गई तथा उक्त भूमिया आज भी सर्वे क्रमांक 89 को छोड़कर शासकीय दर्ज है जो ऐसी भूमियों के संबंध में हजारिया महादेव मंदिर एवं उसकी ओर से वादी क्रमांक 2 को विवादित भूमि में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। अतः अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर वादीगण यह प्रमाणित करने में सफल नहीं हुये कि कस्बा चन्देरी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 87, 88, 89 (वर्तमान में 89/1 व 89/2), 96 तथा 97 एकत्र रकबा 2.235 हैक्टेयर भूमि का वादी क्रमांक 1 (मूर्ति 1008 श्री हजारिया महादेव मंदिर, चंदेरी) द्वारा पुजारी वादी क्रमांक 2 भूमि स्वामी होकर तदानुसार राजस्व कागजात में नाम अंकित कराने का अधिकारी है अतः वाद प्रश्न क्रमांक 1 का निष्कर्ष नकारात्मक दिया जाता है।

वाद क्रमांक 2 का विवेचन एवं निष्कर्ष:—

29—वादीगण के अभिवचन अनुसार विवादित भूमि हजारिया महादेव मंदिर की पुरानी भोग शाला थी, जिसे रात में चोरी छुपे गिरा कर ढेर बना दिया गया तथा सर्वे क्रमांक 87 में कुआ था, जिसे तोड़ दिया तथा मंदिर जाने के लिये सर्वे क्रमांक 89 से 15 फीट चौड़ा रास्ता था, जिस पर बिना अनुमति के किये जा रहे निर्माण कार्य से रास्ता अवरुद्ध हो रहा है। इस संबंध में रामनिवास (वा0सा-2) सहित कोमल प्रसाद (वा0सा-3) का अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथनों में कहना है कि मंदिर जाने के लिये 15 फीट चौड़ा रास्ता था जिस पर प्रतिवादीगण के मकान बन जाने से रास्ता अवरुद्ध हो गया है तथा पुरानी भोगशाला एवं सत्ती की मूर्ति थी जिसे प्रतिवादीगण ने तोड़ दिया है तथा मौके पर मलवा एवं सत्ती की मूर्ति पड़ी है। हेमंत मिश्रा (वा0सा-1) ने भी अपने मुख्य परीक्षण के सशपथ कथनों में यह व्यक्त किया है कि दिनांक 01.02.13 को प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 ने वाद ग्रस्त भूमि पर स्थित भोगशाला तोड़ दी थी तथा सर्वे

क्रमांक 89 मे मंदिर जाने के रास्ते में भवन का निर्माण कर मंदिर जाने के रास्ते में अवरोध उत्पन्न कर बंद कर दिया है।

30—यह उल्लेखनीय है कि हेमंत मिश्रा (वा0सा-1) सहित वादी साक्षी रामनिवास मिश्रा (वा0सा-2) व कोमल प्रसाद (वा0सा-3) ने अपने मुख्यपरीक्षण के सशपथ कथनों में यह अवश्य कथन दिये है कि प्रतिवादीगण ने विवादित भूमियों पर स्थित भोगशाला व सत्ती की मूर्ति तोड़ी है परन्तु इन साक्षियों ने यह स्पष्ट नहीं किया कि भोग शाला एवं सत्ती की मूर्ति किस सर्वे क्रमांक पर थी वादी साक्षी रामनिवास मिश्रा (वा0सा-2) व कोमल प्रसाद (वा0सा-3) अपने मुख्यपरीक्षण के सशपथ कथनों में अवश्य कहते है कि भोगशाला व सत्ती की मूर्ति प्रतिवादीगण ने तोड़ी है परन्तु इन साक्षियों ने अपने प्रतिपरीक्षण में अपने मुख्यपरीक्षण में दिये गये कथनों के विपरीत न्यायालय में कथन दिये है। रामनिवास मिश्रा (वा0सा-2) का अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में यह कहना है कि न तो भोगशाला उसके सामने गिराई गई और न ही भोग शाला किसी ने तोड़ी थी तथा इस साक्षी के अनुसार 10- 20 पहले से मौके पर भोगशाला नहीं है तथा 10-20 साल पहले जिस स्थिति में मंदिर था उसी स्थिति में आज भी है। रामनिवास (वा0सा-2) ने अपने प्रतिपरीक्षण में ही यह व्यक्त किया है कि 86 साल की उम्र में जबसे उसने होश संभाला है तब से उसने मंदिर को ऐसी स्थिति में देखा है जेसा आज है तथा उसने भोगशाला बनी हुई नहीं देखी बल्कि खण्डर देखा है। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 5 में यह स्वीकार किया है कि उसने अपने शपथ पत्र में भोलशाला प्रतिवादीगण द्वारा तोड़ी गई या उनके द्वारा फर्जी नामात्रण कराया गया, ऐसे कोई कथन लेख नहीं कराये।

31—कोमल प्रसाद (वा0सा-3) भी अपने प्रतिपरीक्षण में इस संबंध में कथन अवश्य देता है कि मंदिर के आस-पास की जमीन में चार कुयें चार से पांच इमली व रसोई घर, केस प्रारंभ हुआ तब नष्ट हुआ था परन्तु इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्पष्ट नहीं किया कि उपरोक्त कार्य वास्तव में किसके द्वारा किया गया। यह साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 5 में भोगशाला तोड़ने की घटना रात्रि की होना बताता है परन्तु साथ में उसका यह भी कहना है कि वह मौके पर मौजूद नहीं था। हेमंत मिश्रा (वा0सा-1) भोगशाला तोड़ने की घटना दिनांक 01.02.13 को बताता है परन्तु कोमल प्रसाद (वा0सा-3) का उपरोक्त कथनों के विपरीत अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 10 में यह कहना है कि भोगशाला और सत्ती दिसंबर 2015 में तोड़ी थी तथा पुनः यह साक्षी का कहना है कि सत्ती टूटी नहीं थी मात्र चोला उतरा था।

32—रामनिवास मिश्रा (वा0सा-2) व कोमल प्रसाद (वा0सा-3) के प्रतिपरीक्षण में दिये गये उपरोक्त कथनों से उनके मुख्यपरीक्षण में दिये गये कथन खण्डित हो जाते हैं इन साक्षियों के द्वारा प्रतिपरीक्षण में दिये गये उपरोक्त कथनों से यह स्पष्ट होता है कि इन दोनों साक्षियों को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है कि विवादित भूमियों में किस सर्वे नंबर में सत्ती भोगशाला व कुयें स्थित थे तथा उसे वास्तव में किसके द्वारा तोड़ा गया।

इन साक्षियों के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथन यह साबित करने के लिये पर्याप्त है कि भोगशाला और सत्ती तोड़ने की कोई घटना इन साक्षियों के समक्ष नहीं हुई। अतः इन साक्षियों के कथनों से वादी को लाभ प्राप्त नहीं होता है।

33—हेमंत कुमार मिश्रा (वा0सा-1) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 13 में यह स्पष्ट किया है कि भोगशाला सर्वे क्रमांक 97 में थी, वादी की ओर से प्रकरण में सर्वे क्रमांक 97 का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं पंचनामें की सूचना अधिकार के तहत निकाली गई प्रति प्रदर्श पी 4 व 5 प्रकरण में प्रस्तुत की गई जिस पर स्वयं हेमंत कुमार मिश्रा (वा0सा-1) व प्रतिवादी उमेश कुमार (प्र0सा-1) ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये हैं। उक्त प्रतिवेदन एवं पंचनामें में भी इस बात का उल्लेख है कि सर्वे क्रमांक 97 में हजारिया महादेव मंदिर है तथा इसी सर्वे क्रमांक में एक खण्डर है, जो कि मौके पर पत्थरों के ढेर के रूप में है तथा सर्वे क्रमांक 89/1 का भूमि स्वामी मुताबिक जिल्द बंदोबस्त उमेश कुमार, अनिल कुमार को आदि को बताया गया है तथा सर्वे क्रमांक 89 का भूमि स्वामी गेंदालाल व निर्मल कुमार को बगैरह को बताया गया है।

34—अभिलेख पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि अभिलेख में ऐसी कोई प्रविष्टि नहीं है जिसमें में किसी सर्वे क्रमांक में मंदिर की भोगशाला या सत्ती के नाम की प्रविष्टि हो। वादी एक ओर जहां अपने कथनों में 01.02.13 को प्रतिवादीगण द्वारा सत्ती और भोगशाला तोड़ने के संबंध में कथन देते हैं, तो उक्त कथनों को समर्थन स्वयं वादी की ओर से परीक्षण कराये गये साक्षी रामनिवास मिश्रा (वा0सा-2) व कोमल प्रसाद (वा0सा-3) अपने न्यायालीन कथनों में नहीं करते हैं रामनिवास मिश्रा (वा0सा-2) ने स्वयं ही यह स्पष्ट किया है कि उसकी उम्र 86 साल है और उसने जब से होश संभाला है तब से वह मंदिर को उसी अवस्था में देखता आ रहा है। रामनिवास मिश्रा (वा0सा-2) के उपरोक्त कथन उमेश कुमार (प्र0सा-1) के द्वारा प्रतिपरीक्षण में दिये गये इन कथनों की पुष्टि करते हैं कि मंदिर की भोगशाला उसने नहीं गिराई

35—प्रतिवादी उमेश कुमार (प्र0सा-1) के द्वारा प्रतिपरीक्षण में दिये, कथन जिसमें उसने यह स्वीकार किया है कि वर्ष 2013 में सर्वे क्रमांक 89 की उसने जेसीबी से साफ सफाई करायी थी तथा इस भूमि पर वर्ष 2013 में रथ निकला था, पर अपनी लिखित तर्क में विशेष बल दिया है जिसके आधार पर वादीगण का कहना है कि इसी समय प्रतिवादीगण ने मंदिर की भोगशाला तुड़वाई थी। यह उल्लेखनीय है कि सर्व प्रथम तो भोगशाला जो कि वर्तमान में प्रदर्श पी 4 व 5 के अनुसार पत्थरों के ढेर के रूप में है। सर्वे क्रमांक 97 में स्थित होना बतायी गई है जो कि प्रकरण में विवादित नहीं है जब कि उमेश कुमार (प्र0सा-1) के द्वारा दिये गये कथन सर्वे क्रमांक 89 के संबंध में है अतः सर्वे क्रमांक 89 के संबंध में वर्ष 2013 में जेसीबी से सफाई कराने का तात्पर्य यह नहीं निकाल जा सकता है कि प्रतिवादी उमेश कुमार के द्वारा ही भोगशाला तुड़वाई गई। भोगशाला आज जिस अवस्था में है उसके संबंध में स्वयं वादी साक्षी रामनिवास (वा0सा-2) ने स्पष्ट किया है कि वह अपने होश संभालने से मंदिर को ऐसी ही अवस्था

में देखता आ रहा है। अतः वर्ष 2013 में प्रतिवादीगण ने मंदिर की भोगशाला व सत्ती तोंडकर अतिक्रमण किया है, यह साबित करने के लिये वादीगण के पास कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

36—हेमंत कुमार मिश्रा (वा0सा-1) का अपने प्रतिपरीक्षण में यह कहना है कि विवाद मात्र सर्वे क्रमांक 89 के संबंध में तथा इस साक्षी के अनुसार उक्त सर्वे क्रमांक से मंदिर तक जाने के लिये रास्ता था, जो प्रतिवादीगण द्वारा की जा रहे निर्माण कार्य से अवरुद्ध हो रहा है। हेमंत मिश्रा (वा0सा-1) ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं कर सका जिससे यह दर्शित होता हो कि सर्वे क्रमांक 97 में स्थित मंदिर तक पहुंचने के लिये सर्वे क्रमांक 89 से होकर राजस्व अभिलेखों में रास्ता का उल्लेख है। जिसे स्वयं हेमंत कुमार (वा0सा-1) अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार भी करता है। जबकि प्रतिवादी उमेश कुमार का यह स्पष्ट कहना है कि मंदिर जाने के लिये सर्वे क्रमांक 89 से कोई रास्ता नहीं है। मंदिर जाने के लिये सर्वे क्रमांक 89/1 की मेंढ से होकर लोग जाते थे। हल्का पटवारी रामगोपाल (प्र0सा-3) के द्वारा भी अभिलेख अनुसार इस बात की पुष्टि की गई है कि मंदिर तक जाने के लिये सर्वे क्रमांक 89/1 व 89/2 से कोई रास्ता नहीं है, जिसके खण्डन में वादीगण की ओर से अभिलेख पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है।

37—उपरोक्त विवेचन एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य से सर्व प्रथम तो यह प्रमाणित नहीं है कि वादी क्रमांक 2 हजारिया महादेव मंदिर का विधिवत नियुक्त पुजारी है तथा उक्त विवादित भूमियां मंदिर हजारिया महादेव को माफी के रूप में प्राप्त हुई भूमियां हैं। यदि विवादित भूमियां मंदिर की भूमियां होना तथा वादी क्रमांक 2 उनका संरक्षक होना ही प्रमाणित नहीं है तो ऐसे में अभिलेख पर आई साक्ष्य के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि वादीगण के स्वत्व व आधिपत्य की भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप या कब्जा करने का प्रयास किया गया। वादी अभिलेख पर आई साक्ष्य के आधार पर यह साबित नहीं कर सका कि मंदिर की भोगशाला व सत्ती की मूर्ति प्रतिवादीगण द्वारा वर्ष 2013 में तोड़ी गई जबकि स्वयं वादी साक्षियों के कथनों से यह स्पष्ट होता है कि विगत कई वर्षों पूर्व से मंदिर की ऐसी ही स्थिति है।

38—सर्वे क्रमांक 89 से मंदिर तक पहुंचने के लिये शासकीय रास्ता है, यह भी वादीगण साबित करने में सफल नहीं रहे हैं। प्रतिवादीगण के द्वारा सर्वे क्रमांक 89 के संबंध में भले ही अपने स्वत्व का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया परन्तु वादीगण के द्वारा भी ऐसी कोई विश्वसनीय साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई जो कि उपरोक्त विवादित भूमि में प्रतिवादीगण का अनाधिकृत दखल दर्शित करती है। सर्वे क्रमांक 89 पर सवत 2007 से ही प्रतिवादीगण का नाम राजस्व अभिलेखों में कब्जेदार के रूप में दर्ज चला आ रहा है तथा शासन के द्वारा प्रस्तुत जबाब दावे में उन्हें भूमि स्वामी होना भी स्वीकार किया गया है। सर्वे क्रमांक 89 से मंदिर जाने के लिये कोई रास्ता न होने के बाद भी प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि से मंदिर जाने के लिये रास्ता छोड़ा गया है,

जिस स्वयं प्रतिवादी उमेश कुमार (प्र0सा—1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में दिये गये कथनों स्वीकार भी किया है।

39—अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर सर्व प्रथम तो यह प्रमाणित नहीं होता कि विवादित भूमियां वादीगण के स्वत्व व आधिपत्य की भूमियां हैं वही सर्वे क्रमांक 89 को छोड़कर प्रतिवादीगण का अन्य विवादित भूमियों पर कोई दखल है यह भी वादीगण साबित करने के लिये कोई विश्वयनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके। सर्वे क्रमांक 89 के संबंध में स्वयं वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रतिवादीगण के उक्त भूमि पर निरंतर कब्जे एवं स्वत्व के ठोस आधार दर्शित हो रहे हैं तथा मध्यप्रदेश शासन के द्वारा भी उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण का अतिक्रमण नहीं माना गया। परिणाम स्वरूप उपरोक्त आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता है कि प्रतिवादीगण, वादीगण के आधिपत्य की भूमि पर अवैध रूप से हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहा है। अतः वाद प्रश्न क्रमांक 2 का निष्कर्ष नकारात्मक दिया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक 3 का विवेचन एवं निष्कर्ष:—

40—वादीगण अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह प्रमाणित करने में सफल नहीं हुये कि सर्वे क्रमांक 89 सहित सभी विवादित भूमियां मंदिर हजारिया महादेव को माफी के रूप में प्राप्त हुई भूमियां हैं एवं जिनका संरक्षक विधिवत् वादी क्रमांक 2 है। उक्त भूमियों पर प्रतिवादीगण का अनाधिकृत हस्तक्षेप भी वादीगण साबित करने में सफल नहीं हुये अतः वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध उपरोक्त भूमियों के संबंध में किसी प्रकार की कोई निषेधाज्ञा जारी करने का कोई अभिलेख पर नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप वाद प्रश्न क्रमांक 3 का निष्कर्ष नकारात्मक दिया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक 4 का विवेचन एवं निष्कर्ष:—

41—प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत अपने अभिवचनों में मुख्य रूप से या आपत्ति ली है कि सर्वे क्रमांक 89 पर प्रतिवादीगण के नाम इंद्राज होने की जानकारी वादीगण को प्रारंभ से ही थी, परन्तु उनके द्वारा गलत वाद कारण दर्शाते हुये, यह दावा प्रस्तुत किया गया जो कि समय अवधि में नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि वाद पत्र के अभिवचन अनुसार दिनांक 03.05.13 को विवादित भूमियों की नकल निकालने पर वादीगण द्वारा सर्वे क्रमांक 89 में प्रतिवादीगण के नाम इंद्राज की जानकारी होने के आधार वाद कारण दर्शाते हुये यह वाद प्रस्तुत किया है। संवत् 2007 से राजस्व अभिलेख अनुसार सर्वे क्रमांक 89 पर प्रतिवादीगण का नाम दर्ज चला आ रहा है परन्तु संवत् 2007 से ही वादीगण को इस आशय की जानकारी थी, यह प्रमाणित करने के लिये प्रतिवादीगण की ओर से अभिलेख पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। उमेश कुमार (प्र0सा—1) ने स्वयं 2013 में सर्वेक्रमांक 89 की साफ सफाई कराना अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार

व्यवहार वाद क्रं.—32ए/16

किया है तथा मौके पर विवाद उत्पन्न होने से यह दावा वादी गण के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अतः ऐसे में वर्ष 2013 में विवादित भूमियों के संबंध में जानकारी होने के बाद दिनांक 20.09.13 को प्रस्तुत किया गया यह दावा कही से भी अवधि बाधित होना प्रकट नहीं होता है। अतः वाद प्रश्न क्रमांक 4 का निष्कर्ष नकारात्मक दिया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक 5 का विवेचन एवं निष्कर्ष:—सहायता एवं वाद व्यय—

- 42— वादीगण अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपना वाद प्रमाणित करने में सफल नहीं हुआ है। जिसको देखते हुये यह वाद निरस्त किया जाता है, तथा निम्न आशय की आज्ञाप्ति पारित की जाती है।

01:— यह वाद प्रमाणित न होने से निरस्त किया जाता है।

02:— वादी स्वयं का व प्रतिवादीगण का वाद व्यय वहन करेंगे।

03:— अधिवक्ता शुल्क की राशि प्रत्येक दशा में भुगतान के प्रमाणीकरण के अधीन नियम 523 म.प्र. व्यवहार न्यायालय नियम एवं आदेश के अनुसार संगणित या जो वास्तविक रूप से भुगतान की गई हो तथा जो न्यून हो व्यय में जोड़ा जावे।

तदनुसार डिक्री की रचना की जावे।

निर्णय आज दिनांक को दिनांकित
मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित
किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
अति. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1
चन्देरी, जिला अशोकनगर म.प्र.

(आसिफ अहमद अब्बासी)
अति. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1
चन्देरी, जिला अशोकनगर म.प्र.

